



Tel. : (Ph) 0755-2740305
Website : www.rkdf.ac.in
Email : info@rkdf.ac.in

RKDF UNIVERSITY

(ESTABLISHED UNDER GOVT. OF M.P. AND REGISTERED UNDER UGC 2(F) 1956)

No. 2251 /RKDF/ Exam

Dated : 08 / 01 / 2020

To,
Sandeep Kumar,
Al Murad Group of Education,
Reshipora Athoora,
Baramulla-193198
JK India

Subject: - Information for RTI received on dated 14/10/2019.

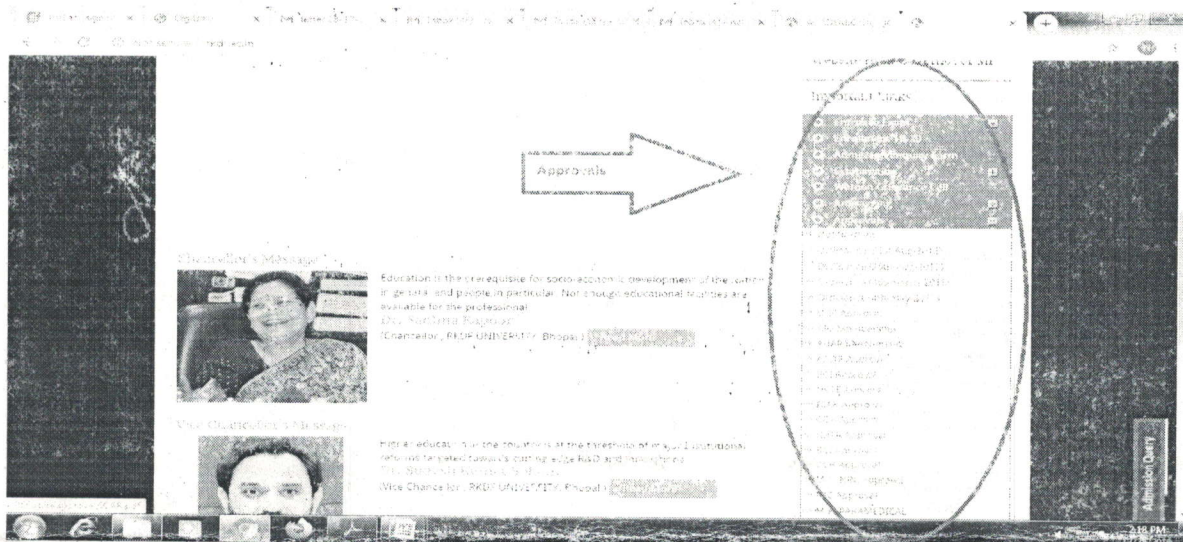
Your reference letter no. RTI/UNI/364

Dear,

Herewith we are sending the information seeking by you below.

1. The RKDF University is a private University, established by an act of Govt. of Madhya Pradesh and approved under UGC 2(f) 1956. The approvals of the University and other courses offered can be found on our official website (www.rkdf.ac.in). Interested students/Education groups, others can find the approvals under the Important links: approvals

A screenshot of our official page is provided herewith for your convenience. Please follow the links shown in red circle and indicated with red arrow for your convenience.





Tel. : (Ph) 0755-2740305

Website : www.rkdf.ac.in

Email : info@rkdf.ac.in

RKDF UNIVERSITY

(ESTABLISHED UNDER GOVT. OF M.P. AND REGISTERED UNDER UGC 2(F) 1956)

No. /RKDF/

Dated : / /

4. The University is approved by UGC and does not bar admission of any students based on regional boundaries. All Indian nationals can seek admission in various courses offered by the University. The admission criteria can be read in ordinance No. 2 and amendments thereof on our official website (www.rkdf.ac.in). Further, J & K students can also seek admission through Prime Minister's Special Scholarship Scheme (PMSSS) for J & K students and other applicable schemes as per central/state/relevant regulatory agencies guidelines.

5. The students may seek course options and eligibility to admission in various courses offered by the University as described in approved ordinances uploaded on our website for the convenience of all concerned. Further, the Government regulatory agencies directives on minimum eligibility for admission to concerned courses is binding before offering admission to any students.

6. Fee structure for the different offered courses is attaching herewith in annexure 1. (For session 2018-19)

Thanks and Regards


PIO

RKDF University,

Bhopal MP, India



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

Anexure-I

126
क्रमांक.../म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग/शुस/2019
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/10/2019

कुलसचिव,
आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय,
एयरपोर्ट बायपास रोड, गांधी नगर कैम्पस
भोपाल (म.प्र.) ।

संशोधित

विषय:-वर्ष 2018-19 हेतु संशोधित निर्धारित शुल्क की समीक्षा।

संदर्भ:-आपका पत्र क्र. 19/आरकेडीएफ/2019 दिनांक 08.01.2019

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में वर्ष 2018-19 हेतु आयोग द्वारा गठित शुल्क की समीक्षा समिति की अनुशंसा एवं आयोग की बैठक दिनांक 08/10/2018 को लिए गए निर्णय अनुसार पत्र क्र 1097 दिनांक 10.10.2018 को आदेश जारी किया गया है। संदर्भित पत्र के क्रम में संशोधित संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रु. लाख में)

स. क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शुल्क	आयोग द्वारा समीक्षा उपरान्त अनुमोदित शुल्क		
			पाठ्यक्रम शुल्क	विकास शुल्क (15%)	योग
1	PGDCA	0.120	0.102	0.018	0.120
2	B.Tech (Agri)	0.50	0.425	0.075	0.500
3	BBA	0.180	0.153	0.027	0.180
4	MBA	0.50	0.425	0.075	0.500
5	LLB	0.15	0.128	0.022	0.150
6	BMLT	0.400	0.340	0.060	0.400
7	BPT	0.400	0.340	0.060	0.400
8	BSC Yoga	0.400	0.340	0.060	0.400
9	Diploma Paramedical Xra. Tech	0.300	0.211	0.037	0.248
10	Diploma Paramedical Human Nutrician	0.30	0.219	0.039	0.258
11	Diploma Paramedical Ayurvedic	0.300	0.204	0.036	0.240
12	Diploma Paramedical Dialysis Tech	0.300	0.204	0.036	0.240
13	Diploma Paramedical DML	0.300	0.255	0.045	0.300
14	MSRD	0.200	0.170	0.030	0.200
15	OT Tech	0.200	0.170	0.030	0.200
16	Health Inspector	0.200	0.170	0.030	0.200
17	BA	0.080	0.068	0.012	0.080
18	MA	0.20	0.170	0.024	0.194
19	B.Sc	0.130	0.110	0.020	0.130



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

20	M.Sc	0.200	0.170	0.030	0.200
21	M.com	0.200	0.170	0.030	0.200
22	BA LLB	0.300	0.255	0.045	0.300
23	GNM	0.600	0.510	0.090	0.600
24	B.Sc (Nursing)	0.900	0.765	0.135	0.900
25	Post B.Sc (Nursing)	0.600	0.510	0.090	0.600
26	B.Arch	0.550	0.468	0.082	0.550
27	BHMS	1.53	1.300	0.230	1.530
28	B.Com	0.14	0.119	0.006	0.125
29	BSW	0.200	0.170	0.030	0.200
30	MSW	0.25	0.213	0.037	0.250
31	B.Sc (Agri)	0.70	0.584	0.103	0.687
32	DED	0.500	0.425	0.075	0.500
33	BED	0.500	0.425	0.075	0.500
34	MED	0.70	0.595	0.105	0.700
35	DCA	0.100	0.085	0.015	0.100
36	BCA	0.160	0.136	0.024	0.160
37	MCA	0.32	0.272	0.048	0.320
38	D.Pharma	1.100	0.910	0.160	1.070
39	B. Pharma	0.65	0.553	0.097	0.650
40	M. Pharma	1.00	0.850	0.150	1.000
41	Diploma in Technical	0.350	0.298	0.052	0.350
42	B.E./B.Tech	0.50	0.425	0.075	0.500
43	M.Tech	0.70	0.595	0.105	0.700

- उपरोक्त शुल्क के पाठ्यक्रम के संचालन से संबंधित समस्त शुल्क यथा रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों शुल्क सहित समस्त शुल्क शामिल है। तथापि परीक्षा शुल्क, पूरक परीक्षा एवं पुनर्मूल्यांकन शुल्क, यातायात/बस चार्जस, छात्रावास/मेस चार्जस आदि वैयक्तिक व्यय पृथक से लिये जा सकेंगे परन्तु इनका लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा।
- कुल अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क 15% का लेखा पृथक से रखना होगा। विकास शुल्क की राशी का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में करना होगा।
- आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क समीक्षा के साथ उक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों की तुलना, अंकेषित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों से कर प्रस्तुत करना होगा। अंतर के कारणों को स्पष्ट करते हुए यदि लागतें बढ़ीं तो उसकी पूर्ति कहाँ से की गई स्पष्ट करनी होगी, यदि लागतें कम हुईं तो अधिक वसुली गई फीस छात्रों को वापस करना होगी।

(मा.अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

सदस्य प्रशासनिक/सचिव

दिनांक :- 03-01-2020

प्रति,
श्रीमान,
लोक सूचना अधिकारी
आर.के.डी.एफ.विश्वविद्यालय,
भोपाल

संदर्भ :- सूचना का अधिकार पत्र क्रमांक RTI/UNI/364 दिनांक
14/10/2019 में चाही गयी जानकारी के संबंध में -
विषय :- पत्रानुसार बिंदु क्रमांक 02 एवं 03 की जानकारी

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा बिंदु क्रमांक 02 एवं 03 की जानकारी जो कि छात्रवृत्ति से संबंधित है निम्नानुसार है:-

क्रं	आपके पत्रानुसार चाही गयी जानकारी	विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त जानकारी
01	पत्र के बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य से प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को किन स्कीम के तहत छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।	पत्र के बिंदु क्रमांक 2 के संदर्भ में विश्वविद्यालय आपको अवगत कराना चाहता है कि जम्मू कश्मीर राज्य से प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को राज्य स्कीम के तहत छात्रवृत्ति की पात्रता होती है। स्कीम का नाम:- Post Metric Schlorship Schemes to ST Student - J & K
02	पत्र के बिंदु क्रमांक 3 के अनुसार अल्पसंख्यक प्रवेशीत छात्र/छात्राओं को किन स्कीम के तहत छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।	पत्र के बिंदु क्रमांक 3 के अनुसार अल्पसंख्यक प्रवेशीत छात्र/छात्राओं को - Post Metric Schlorship Schemes Minorities - CS के तहत छात्रवृत्ति आवेदन करते हैं।

03.1.2020
छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी
आर.के.डी.एफ.विश्वविद्यालय
भोपाल
NODAL OFFICER
Scholarship Dept.
R.K.D.F. University, BHOPAL